।। कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर ।।

क्रमांक : पु.आ.-जोध/विशा/विविध/2023/2309 दिनांक : 08.11.2023

-:: आदेश ::-

(निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

चूंकी मुझे अवगत कराया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में एवं आगामी धार्मिक त्यौहारों के मध्य नजर जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था भंग करने की चेष्टा की जा सकती है जिससे जन साधारण की सुरक्षा एवं लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

यत: मुझे प्रतीत कराया गया है कि आगामी दीपावली पर्व के अवसर पर असामाजिक तत्वों से जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में एल.पी.जी. गोदाम, पेट्रोल पम्प, भूमिगत करोसिन डिपोज, पेट्रोल के भण्डार, आगजनी व अन्य दुर्घटनाओं की पूर्ण सम्भावना बनी रहेगी। इस त्यौहार के अवसर पर जन सामान्य द्वारा अग्निवाहक पटाखें, बारूद का प्रयोग एवं ग्रीन आतिशबाजी की जावेगी।

उक्त परिस्थितियों से मेरा समाधान हो गया है एवं मै सन्तुष्ट हूँ कि ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया आयुक्तालय जोधपुर के क्षेत्राधिकार में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जान-माल की सुरक्षा किये जाने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की जावे।

अत: मैं रमेश मौर्य, पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, आयुक्तालय जोधपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूँ कि :-

1. दीपावली के अवसर पर जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में ग्रीन आतिशबाजी रात्रि 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही की जावेगी एवं रात्रि 10.00 बजे के पश्चात पटाखें नहीं छोड़े जावेगें व अन्य आतिशबाजी भी नहीं की जावेगी।
2. जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तेजधार वाले शस्त्र, लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा, न ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र, तेजधार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रदर्शन करेगा, लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण सम्बन्धी एवं थाने में जमा कराने हेतु विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह प्रतिबन्ध सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र बल, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं अन्य राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर जो कि कानून एवं शांति व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने साथ हथियार रखने को अधिकृत किये गये है, उन पर लागू नहीं होगा।
3. कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार के घातक रासायनिक पदार्थ, विस्फोट पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल या अन्य किसी पात्र में लेकर विचरण नहीं करेगा।
4. कोई भी व्यक्ति इस दौरान धार्मिक भावना भड़काने वाले भाषण/नारे नहीं लगायेगा एवं ना ही किसी भी स्थान पर ऐसे नारे लिखे जावेंगे।
5. जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में राह चलते व्यक्तियों पर किसी प्रकार का कोई भी अग्निबाण, अत्यधिक आवाज वाले पटाखों के उपयोग को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।

OFFICE OF THE DCP HEADQUARTER JODHPUR

08/11/2023

0291-2650900 ☎, 2650903, dsbjdrc@gmail.com, कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर- 342001

6. अग्निवाहक पटाखें यथा राकेट, चिड़िया, हवाई जहाज, हवाई पटाखें, सिटी पटाखें एवं सूतली बम का प्रयोग सार्वजनिक स्थलों तथा शान्त घोषित क्षेत्र एवं घास डिपों, बस स्टेण्ड, सिनेमा, रेलवे स्टेशन, विद्यालयों, पेट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, अस्पतालों, पोस्ट ऑफिस व औद्योगिक क्षेत्र के 100 मीटर की परिधी में नहीं किया जावेगा।

चूंकि उक्त आदेश सार्वजनिक हित में है एवं किसी व्यक्ति विशेष को सूचना या आदेश तामिल कराना सम्भव नहीं है। अतः उपरोक्त आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

उक्त आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानो के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

इस आदेश की जानकारी को आम जनता में समाचार पत्रों, रेडियो, टी.वी. के द्वारा देने की व्यवस्था जिला सम्पर्क अधिकारी, जोधपुर करेंगे एवं इस आदेश की प्रतियां प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराने की व्यवस्था करायेंगे।

यह आदेश दिनांक 09.11.2023 को सायं 06.00 बजे से लागु होकर दिनांक 16.11.2023 को सायं 06.00 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पूर्व हो, प्रभावशील रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 08.11.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर द्वारा जारी किया जाता है।

OFFICE OF THE DCP HEADQUARTER JODHPUR सत्यमेव जयते

(रमेश मौर्य)
पुलिस उपायुक्त/
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
मुख्यालय जोधपुर
पुलिस उपायुक्त
मुख्यालय जोधपुर

प्रतिलिपिः निम्न को सादर सूचनार्थ –

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. पुलिस आयुक्त, जोधपुर।
4. जिला कलक्टर, जोधपुर।
5. पुलिस उपायुक्त पूर्व/पश्चिम/याताया/अपराध, आयुक्तालय जोधपुर।
6. समस्त अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, आयुक्तालय जोधपुर।
7. समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय जोधपुर को पालनार्थ।
8. समस्त थानाधिकारी, आयुक्तालय जोधपुर को पालनार्थ।
9. प्रभारी, पुलिस नियन्त्रण कक्ष/अभय कमाण्ड एवं कन्ट्रोल सेन्टर जोधपुर।
10. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी जोधपुर को स्थानीय समाचार पत्रों /मीडिया चैनल में प्रचार-प्रसार हेतु।
11. नोटिस बोर्ड, कार्यालय आयुक्तालय जोधपुर।

8/11/23

पुलिस उपायुक्त/
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
मुख्यालय, जोधपुर
पुलिस उपायुक्त
मुख्यालय जोधपुर